

बिहार सरकार
गृह (आरटी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक मई, 2013

पत्र संख्या-1/एल1-10-13/2013 गृ0आ0 /श्री एम0आर0 नायक, भा0पु0से0, पुलिस उप-महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया को अखिल भारतीय सेवारं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 22.05.2013 से 05.06.2013 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों की उपाजित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री नायक के अवकाश अवधि में पुलिस उप-महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस उप-महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-1/एल1-10-13/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक मई, 2013
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-1/एल1-10-13/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक मई, 2013
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), विहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-1/एल1-10-13/2013 गृ0आ0 3953 /पटना, दिनांक 22 मई, 2013
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, विहार, पटना/श्री एम0आर0 नायक, भा0पु0से0, पुलिस उप-महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया/ पुलिस उप-महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/आई0टी0 अध्यक्ष, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।